"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 मई 2017—— ज्येष्ठ 2, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–10/आठ–परि./2017. —— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 93 एवं 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, तृतीय तल, सी–ब्लॉक, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :–

नियम 76–ग के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"**76–घ. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन एग्रीगेटर (टैक्सी 4+1) की मांग पर अनुज्ञप्ति, अनुपालन और दायित्व.**– (1) एग्रीगेटर के लिए नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी,–

(क) आवेदक, भारत में तत्समय लागू विधियों के अधीन एक पंजीकृत इकाई होना चाहिए।

(ख) आवेदक, एक ऐसा डिजिटल मध्यस्थ/माध्यम होना चाहिए, जो यात्री को चालक के साथ जोड़ने हेतु अनुरोध करता हो, जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करता हो और भारत में तत्समय लागू विधियों के अधीन वैध पंजीकृत वाहन का संचालन करता हो तथा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) के अंतर्गत विहित सभी लागू विनियमों, जिसमें मध्यस्थ दिशानिर्देश सम्मिलित हैं, का अनुपालन करना चाहिये।

(ग) आवेदक, किसी वाहन का मालिक नहीं होगा या उसे पट्टे पर नहीं देगा, किसी चालक को नियोजित या स्वयं एक टैक्सी सेवा के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, जब तक कि वह लागू विधियों के अधीन टैक्सी ऑपरेटर के रूप में पंजीकृत न हो।

(घ) ऑपरेटर, टैक्सी का किराया, अपने प्लेटफार्म पर टैक्सी तथा चालकों का पंजीकरण, टैक्सी मालिकों तथा चालकों के साथ किराये के बंटवारे, यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र आदि पर अपनी नीति प्रकाशित करेगा। वह सावधानी एवं पारदर्शितापूर्वक अपनी नीतियों का भी अनुपालन करेगा।

(ङ) ऑपरेटरों का एक 24ग7 कॉल सेंटर होगा।

(च) ऑपरेटर, वाहनों को चिन्हांकित (ब्रांड) कर सकेगा।

(2) परिचालन संबंधी अधोसंरचना और अनुपालन :-

(क) अनुज्ञप्तिधारी, एक वेब या एक मोबाईल एप्लीकेशन आधारित ग्राहक सेवा तथा शिकायत निवारण केन्द्र उपलब्ध करायेगा, जिसमें शिकायत निवारण अधिकारी का परिचलित दूरभाष नंबर तथा ई-मेल पता अन्तर्विष्ट होगा।

(ख) लाईसेंसधारी, मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म का उपयोग करने के पूर्व, प्लेटफार्म का उपयोग करने में सक्षम किये जा रहे चालकों के लिये, एक चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करेगा। चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम में, यांत्रिक रूप से चालित वाहनों, सड़क सुरक्षा के लिए लागू विधियों, मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 तथा लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम से चालकों को अभ्यस्त करना सम्मिलित होगा।

(3) वाहन प्रोफाईल,-

(क) प्रत्येक वाहन का, जो एक एग्रीगेटर प्लेटफार्म के माध्यम से बुकिंग करते हुए यात्रा करने हेतु संचालित हो,-

(एक) भारत में लागू विधियों के अधीन वैध पंजीयन होना चाहिए।

(दो) भारत में लागू विधियों के अधीन जारी वैध फिटनेस प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(तीन) भारत में लागू विधियों के अधीन, समय-समय पर, यथा विहित तीसरे पक्ष के लिए जोखिम को आच्छादित करने वाली वाणिज्यिक बीमा पॉलिसी होनी चाहिए।

(चार) दिये गये संचालन क्षेत्र में वाहन चलाने हेतु सुसंगत अनुज्ञापत्र होना चाहिए।

(पांच) उसके द्वारा, वाणिज्यिक वाहनों के लिए विहित सुरक्षा आवश्यकताओं (जिसमें ट्रैकिंग प्रणाली भी सम्मिलित है) का अनुपालन करना चाहिए।

(ख) ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन, ऐसे उपकरण से सुसज्जित हो, जो उसकी भौतिक स्थिति ज्ञात करने, दूरी और समय का परिमाप (मीटरिंग) करने, यात्रा की दूरी और समय सही तरीके से संगणित करने हेतु समर्थ हो और जिसे वाहन के स्वामी द्वारा संस्थापित किया गया हो तथा यदि वाहन एक से अधिक मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हो तो ऐसा ट्रैकिंग उपकरण, अलग-अलग अनुज्ञप्तिधारियों के बीच अन्तर-प्रचलित (इन्टर-आपरेटेबल) होना चाहिये। उपकरण/प्लेटफार्म, परिमाप (मीटरिंग) व्यवस्था पर आधारित बिल अथवा रसीद को इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य तरीके से यात्री को उपलब्ध कराने हेतु भी सुसज्जित होना चाहिये।

(ग) वाहन, भारत में तत्समय लागू सुसंगत विधियों के अधीन विहित लागू सुरक्षा मानक उपकरण, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर, यथा विहित प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एवं सामग्री सम्मिलित हैं, से सुसज्जित होना चाहिये।

(घ) वाहन, आपातकालीन सुरक्षा बटन(नों), जब कभी भी इस निमित्त अधिसूचना द्वारा आदेशाधीन किया जाये, से सुसज्जित होना चाहिये।

(ङ) वाहन द्वारा समय-समय पर यथा विहित उत्सर्जन मानकों को पूरा किया जाना चाहिए तथा उसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिये।

(च) वाहन में ऐसे तरीके और सीमा तक विज्ञापन ले जाने के लिए अनुमति दी जा सकती है कि वह यातायात सुरक्षा को संकटमय या बाधित न करे तथा वाहन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाना चाहिये।

(4) चालकों के लिये कार्य करने की शर्तें,–

(क) मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले चालकों को उनके विवेक पर मांग आधारित तकनीकी प्लेटफार्म लाग–इन तथा लाग–आउट करने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा विभिन्न मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म पर उनके या उनके स्वयं के वाहन को रजिस्ट्रीकृत करने से तब तक रोका नहीं जाना चाहिए, जब तक कि वाहन का मालिक अन्यथा विनिश्चय नहीं करता है।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी, मांग आधारित परिवहन प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले चालकों के लिए वाहन चलाने हेतु न्यूनतम घंटे का समय अपेक्षित नहीं करेगा, किन्तु सुरक्षित वाहन चालन के लिए अधिकतम घंटे के नियमों, जहां लागू हो, का अनुपालन करना चाहिये। वैश्विक प्रास्थिति प्रणाली (ळैै) उपकरण से वाहन चालन के घंटों की मीट्रिक रिकार्डिंग सुनिश्चित करना चाहिये।

(ग) चालक, जब मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म का उपयोग कर रहा हो, के द्वारा सड़क पर खड़ी सवारियों को अनुरोध नहीं करना चाहिये अथवा अनुरोध स्वीकार नहीं करना चाहिये।

(5) चालक के लिये अनुपालन,– अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि,–

(क) कोई चालक, जो मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म से पंजीयन करने का इच्छुक हो, उसके पास समुचित श्रेणी का वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति होना चाहिए।

(ख) मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म से पंजीयन हेतु किसी व्यक्ति को अनुमति देने के पूर्व और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे व्यक्ति के पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट के साथ स्वप्रमाणित ईपिक कार्ड, पैन कार्ड, प्रमाणित निवास का पता और परिवार के दो सदस्यों के संपर्क विवरण प्राप्त करना होगा तथा उसकी नियमित रूप से संवीक्षा करनी होगी।

(ग) कोई व्यक्ति, जो पिछले सात वर्षों के भीतर न ीली दवाओं या अल्कोहल के प्रभाव में ड्राइविंग करने का दोषसिद्ध पाया गया हो अथवा कभी भी किसी संज्ञेय अपराध, जिसमें धोखाधड़ी, यौन अपराध, किसी संज्ञेय अपराध कारित करने हेतु मोटर वाहन का उपयोग, संपत्ति का नुकसान अंतवर्लित अपराध एवं/या चोरी, हिंसा के कृत्यों या आतंकवादी कार्य सम्मिलित हैं, के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के प्लेटफार्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

(घ) कोई व्यक्ति, जो मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म से पंजीयन करने हेतु इच्छुक हो, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत केवाईसी का पालन करते हुए, बैंक खाता धारक होना चाहिए।

(ङ) चालक, अच्छे चरित्र का होना चाहिए।

(6) अनुज्ञप्ति का जारी करना, अवधि एवं नवीनीकरण,–

(क) कोई व्यक्ति, राज्य परिवहन विभाग के क्षेत्राधिकार के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना तथा राज्य परिवहन विभाग द्वारा यथा अधिसूचित निबंधन एवं शर्तों का अनुसरण किये बिना, उपभोक्ताओं को मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म, उपलब्ध नहीं कराएगा।

(ख) अनुज्ञप्ति की वैधता, 3 वर्ष की कालावधि के लिए होगी।

(ग) अनुज्ञप्ति की वैधता, इस नियम के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के संतुष्टिप्रद प्रदर्शन के अध्यधीन होगा। आवेदक, 3 वर्ष की कालावधि के पश्चात्, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(7) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्य शर्तों का अनुसरण किया जाना,–

(क) प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए, अनुज्ञप्तिधारीः

(एक) राज्य परिवहन विभाग के क्षेत्राधिकार में, अपने कार्य क्षेत्र के भीतर पंजीकृत आदेशिका तामिली हेतु भारसाधक अधिकारी का विवरण, उसके पते सहित, उपलब्ध करायेगा।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी के मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले राज्य के सभी चालकों तथा वाहनों का रिकार्ड, सही तरीके से संधारित करेगा एवं अद्यतन रखेगा तथा उन्हें राज्य परिवहन विभाग द्वारा मांग किये जाने पर उपलब्ध करायेगा।

(तीन) मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले राज्य के चालकों की एक सूची, जिसमें चालक का पूरा नाम, चालक का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वाहन पंजीकरण संख्या

तथा चेसिस एवं इंजन नंबर सम्मिलित हो, को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को प्रत्येक तिमाही में प्रदान करेगा।

(ख) यात्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में, अनुज्ञप्तिधारीः

(एक) यह सुनिश्चित करेगा कि मांग आधारित परिवहन तकनीकी एग्रीगेटर्स के वेब या मोबाइल एप्लीकेशन, यात्री को चालक से जोड़ने हेतु समर्थ है, जो चालक की स्पष्ट तस्वीर तथा वाहन की तस्वीर या विवरण (जिसमें अनुज्ञप्ति प्लेट क्रमांक सम्मिलित है) एवं अन्य ऐसे विवरण प्रदर्शित करेगा, जिससे यात्री यह सत्यापित कर सकेंगे कि वाहन का चालक वही व्यक्ति है, जिसका विवरण, यात्री को मांग आधारित परिवहन तकनीकी एग्रीगेटर के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(दो) अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा विकसित एवं सम्मिलित करेगा जो यात्रियों को उनकी अवस्थिति, उनकी सुरक्षा नेटवर्क के भीतर न्यूनतम दो व्यक्तियों के साथ साझा करने की क्षमता प्रदान करता हो।

(तीन) अनुरोध किये जाने पर, केन्द्रीय या राज्य सरकार के डाटा नेटवर्क से वाहन की अवस्थिति एवं वाहन चालक के डाटा स्थानांतरण को समर्थ बनायेगा।

(चार) मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसी सुविधा विकसित एवं सम्मिलित करेगा, जो यात्रियों को आपात स्थिति में स्थानीय पुलिस से संपर्क स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता हो।

(पांच) मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म का उपयोग करने के इच्छुक प्रत्येक चालक के, पुलिस सत्यापन के माध्यम से, आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन करायेगा।

(छः) मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म पर पंजीकृत वाहन की जानकारी को प्रतिवर्ष सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा राज्य परिवहन विभाग से उपलब्ध जानकारी के साथ सत्यापन करायेगा।

(सात) चालक से संबंधित निम्नलिखित अद्यतन अभिलेख प्राप्त करना होगा,–

1. चालक का एक फोटोग्राफ;
2. चालक का वाहन चालन अनुज्ञप्ति;
3. चालक का वाहन अनुज्ञप्ति प्लेट क्रमांक;
4. चालक के वर्तमान घर का पता;
5. चालक के आरबीआई केवाईसी बैंक खाते का विवरण;
6. चालक का संपर्क विवरण;
7. स्वप्रमाणित वोटर (ईपीक) कार्ड, पैन कार्ड;
8. चालक के आवासीय पते का प्रमाण;
9. परिवार के दो सदस्यों का संपर्क विवरण एवं पता।

(आठ) चालक के वाहन से संबंधित निम्नलिखित अद्यतन अभिलेख प्राप्त करना होगा,–

1. पंजीकरण का प्रमाणपत्र;
2. फिटनेस का प्रमाणपत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज;
3. वैध परमिट;
4. चेसिस या इंजन नंबर; और
5. तीसरे पक्ष के जोखिम से आच्छादित वाणिज्यिक बीमा पॉलिसी;
6. वाहनों का वास्तविक समय जीपीएस स्थिति का पता लगाने की क्षमता रखना।

(ग) आपराधिक प्रकृति की घटना की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल पुलिस को सूचित करेगा तथा विधिसम्मत अनुरोध पर संबंधित प्राधिकारियों को सहयोग करेगा।

(घ) निम्नलिखित भेदभाव हेतु अनुज्ञप्तिधारी को शून्य सहिशणुता की नीति स्थापित करना होगा,–

(एक) सेवा से इंकार;

(दो) यात्री की ओर अपमानजनक या परेशान करने वाली भाषा का प्रयोग; या (तीन) लिंग, नस्ल, जाति, पंथ, धर्म या राश्ट्रीयता के आधार पर यात्री से भेदभाव।

(ङ) कोई चालक, किसी निःशक्त व्यक्ति को सेवा प्रदान करने से इंकार नहीं करेगा।

(च) अनुज्ञप्तिधारी, लिखित में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सूचित किए बिना, अनुज्ञप्ति आवेदन में उल्लिखित अनुसार, राज्य में कारोबार के मुख्य स्थान में बदलाव नहीं करेगा।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी, किसी यात्री से नियमित मेल या इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेदभाव संबंधी लिखित में शिकायत प्राप्त होने पर, जांच की अवधि के लिये, चालक को तत्काल निलंबित करेगा।

(ज) यदि अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण या स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है, तो मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म द्वारा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा।

(झ) अनुज्ञप्तिधारी को किसी चालक द्वारा नशे या शराब के उपयोग पर शून्य सहनशीलता नीति कियान्वित करनी होगी, अपनी वेबसाईट पर शून्य सहनशीलता नीति की सूचना के साथ साथ चालकों, जिस पर यात्री को नशे या शराब के प्रभाव में होने का युक्तियुक्त संदेह था, के बारे में शिकायत की रिपोर्ट की प्रकिया की जानकारी भी उपलब्ध करायेगा। अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी शून्य सहनशीलता नीति के उल्लंघन की शिकायत की प्राप्ति पर, उक्त चालकों को जांच की अवधि तक प्लेटफार्म में प्रवेश करने से निलंबित करेगा।

(ञ) राज्य सरकार, प्रभारित की जाने वाली अधिकतम किराये की दरों को अधिसूचित कर सकेगा।

(8) पारदर्शिता,–

(क) मांग आधारित परिवहन तकनीकी प्लेटफार्म द्वारा यात्री को यात्रा की दूरी एवं समय (उपकरण द्वारा उपदर्शित परिमाप (मीटरिंग) के आधार पर) तथा यात्री द्वारा की जा रही यात्रा के लिये भुगतान को सूचित करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा यात्रा की समाप्ति पर, इलेक्ट्रानिक पावती, यात्री को ई–मेल पता या मोबाईल फोन या मोबाईल एप्लीकेशन अथवा हार्ड कापी दस्तावेज में, संसूचित की जायेगी।

(ख) यात्री को वेब या मोबाईल एप या ग्राहक सेवा टेलीफोन नंबर तथा ई–मेल पते के माध्यम से अपनी शिकायतों एवं यात्रा के दौरान हुई परेशानियों की जानकारी देने की सुविधा दी जायेगी।

(9) अनुज्ञप्ति निलंबित करने या रद्द करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की शक्ति,–

(क) यदि राज्य परिवहन विभाग का, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह मत है कि अनुज्ञप्तिधारी, राज्य परिवहन विभाग द्वारा अथवा अनुज्ञप्ति में यथा वर्णित किसी निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है और उसने ऐसे गैर अनुपालन की लिखित सूचना प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उपचार नहीं किया गया है, तो राज्य परिवहन विभाग, अनुज्ञप्ति को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निलंबित अथवा रद्द कर सकता है। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, जो एक से अधिक राज्यों में संचालन कर रहा है, की दशा में, संबंधित राज्य परिवहन विभाग, अनुज्ञप्ति के प्रत्येक निलंबन या रद्द होने की सूचना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देगा। मंत्रालय, विकास की जानकारी तत्काल अन्य राज्यों को देगा। अनुज्ञप्तिधारी, जिसका अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है, को ऐसे रद्द होने की तारीख से छः माह की कालावधि के पश्चात्, राज्य परिवहन विभाग से दूसरी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी इसे जारीकर्ता प्राधिकारी को समर्पित कर देगा।

No. F-05-10/VIII/Trans./2017. — The following further draft to amend the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the power conferred by Sections 93 read with 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken in to consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the Transport Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur, shall be considered by the Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

After Rule 76-C, the following shall be added, namely:-

"76-D Licensing, compliance and liability of on-demand Information Technology based Transportation Aggregator (Taxi 4+1).- (1) Rules and conditions for aggregator shall be as follows,-

(a) applicant must be a registered entity under the applicable laws for the time being in force in India.

(b) applicant must be a digital intermediary/medium that solicits connection of passenger with a driver, satisfying the necessary eligibility conditions and operating vehicle with a valid registration under the applicable laws for the time being in force in India and must be complying with all applicable regulations prescribed under the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) and the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000), including the intermediary guidelines.

(c) applicant must not own or lease any vehicle, employ any driver or represent himself as a taxi service unless registered as a taxi operator under the applicable law.

(d) operator must publish its policy on taxi fare, registration of taxi and drivers with its platform, sharing of fares with taxi owners and drivers, safety of passengers, grievance redressal mechanism for passengers, etc. It should also follow it policies meticulously and transparently.

(e) the operators must have a 24x7 call centre.

(f) the operator may brand the vehicles.

(2) Operational infrastructure and compliance,-

(a) licensee must provide either a web or a mobile application based customer service and grievance redressal centre having an operational telephone number and email address of a grievance redressal officer.

(b) licensee shall establish a driver-training programme for drivers based on an on-demand transportation technology platform prior to the driver being able to use the platform. The driver-training programme must include familiarization of drivers with the laws applicable to mechanically propelled vehicles, road safety, the Motor Transport Workers 'Act, 1961 (No. 27 of 1961) and a gender sensitization program.

(3) Vehicle profile,-

(a) every vehicle that is operated for a journey booked via an aggregator platform should,-

(i) be validly registered under the applicable laws in India.

(ii) hold a valid Fitness Certificate issued under the applicable laws of India.

(iii) hold a commercial insurance policy covering for third party risks as prescribed, from time to time, under the applicable laws of India.

(iv) hold relevant permit to ply in the given area of operation.

(v) comply with safety requirement (including tracking system) prescribed for commercial vehicles.

(b) operator must ensure that the vehicle is equipped with a device capable of physical location tracking, metering of distance and time, calculating the distance and time of travel accurately and is fitted by the owner of the vehicle and if the vehicle is available on more than one on-demand transportation technology platform then such tracking equipment must be interoperable between different Licensees. The device/platform should also be equipped to provide a bill or receipt to the passenger electronically or otherwise based on the metering system.

(c) the vehicle must be equipped with the applicable safety standard equipment prescribed under the relevant applicable laws for the time being in force in India, including the first aid box and materials, as may be prescribed, from time to time, by the Competent Authority.

(d) the vehicle should be equipped with emergency safety button(s), whenever mandated by a notification in this behalf.

(e) the vehicle should meet emission standards as may be prescribed, from time to time, and should have a valid Pollution Under Control Certificate.

(f) the vehicle may be allowed to carry advertisement in such manner and to the extent that it doesn't become hazardous or a disturbance to the safety of traffic and must be strictly in accordance with the guidelines issued by the Competent Authority in this regard from time to time.

(4) Working conditions for drivers,

(a) driver using on-demand transportation technology platform must be permitted to log-in and log-off of the on-demand technology platform at their discretion and must not be prevented from registering themselves or their vehicles on multiple on-demand transportation technology platforms, unless the owners of the vehicle decides otherwise.

(b) licensee must not require drivers using the on-demand transportation platform to drive a minimum number of

hours, but should follow the rules for maximum hours for safe driving wherever applicable. The GPS (Global Positioning System) devise should ensure metric recording of driving hours.

(c) Driver when using a Licenses on-demand transportation technology platform should not solicit or accept street hails.

(5) Driver Compliance,-The Licensee must ensure,-

(a) that any driver, who wishes to register with an on-demand transportation technology platform must have a valid driving license of the appropriate category.

(b) that prior to permitting a person to register with the on-demand transportation technology platform, and annually thereafter, the Licensee must obtain a police verification report for such person, together with self attested copy of EPIC card, PAN card, Residential address proof along with contact details of two family members and review it regularly.

(c) that any person who has been convicted, within the past seven years, of driving under the influence of drugs or alcohol, or who has been convicted at any time for any cognizable offense including fraud, sexual offenses, use of a motor vehicle to commit a cognizable offense, a crime involving property damage, and or theft, acts of violence, or acts of terror should not be permitted to use the Licensee's platform.

(d) that any driver that wishes to register with an on-demand transportation technology platform must hold a account in the Bank authorized by the Reserve Bank of India complying with KYC norms.

(e) that driver must be of good character.

(6) Issue, duration of license and renewal,-

(a) no person should offer an on-demand transportation technology platform to consumers within the jurisdiction of a State Transport Department without obtaining a license and adhering to the terms and conditions, as notified by the State Transport Department.

(b) the validity of the License shall be for a period of 3 years.

(c) the validity of the license shall be subject to the satisfactory performance of the licensee as per terms and condition of this Rule. The applicant may submit an application for renewal of the license after a period of three years.

(7) General conditions to be adhered by the licensee,-

(a) for administrative purposes, the Licensee must,-

(i) provide an address within the area of operation in the jurisdiction of the State Transport Department for registered services of process along with details of office in charge.

(ii) maintain accurate and up-to-date records of all the drivers and vehicles from the State using the Licensee's on-demand transportation technology platform and to make them available on demand to the State Transport Department.

(iii) provide a list of drivers from the State, using the on-demand technology transportation platform, including the full name of the driver, driver license number, the vehicle registration number and the chassis and engine number to the Licensing Authority on a quarterly basis.

(b) In order to promote passenger safety, the Licensee must,-

(i) ensure that on demand technology transportation aggregator's web or mobile application is able to connect drivers to riders display for a clear picture of the driver and a picture or description (including license plate number) of the vehicle and such other details that allows the rider to verify that the driver of the vehicle is the same person whose details the rider has received via the on-demand technology transportation aggregator.

(ii) develop and include a feature in the mobile application that provides riders an ability to share their location with minimum two persons within their safety network.

(iii) enable data transfer of the location of vehicle and driver with the data network of the Central or the State Government whenever demanded.

(iv) develop and include a feature in the mobile application that gives riders the ability to contact local police in case of an emergency.

(v) verify the criminal background of each driver wising to the use the on-demand transportation technology platform through police verification.

(vi) verify vehicle information registered on the on-demand transportation technology platform with the information available with the ministry of Road, Transport and Highways and the State Transport Department on an annual basis.

(vii) Obtain the following up-to-date records relating to the driver,-

1. a photograph of the driver;
2. driving license of the driver;
3. vehicle license plate number of the driver;
4. current home address of the driver;
5. bank account details of the driver along with KYC;
6. driver's contact information;
7. self attested copy of EPIC card, PAN 'card;
8. residential address proof of the driver; and
9. contact details and address of two family members.

(viii) Obtain the following up-to-date records relating to the driver's vehicle,-

1. Certificate of Registration;

2. Certificate of Fitness and other related documents;

3. Valid Permit;

4. Chassis or engine number;

5. Commercial insurance policy covering for third party risks; and

6. Have the ability to track the real-time GPS location of the vehicles.

(c) In the event of an incident of a criminal nature Licensee will immediately inform to the police and co-operate with relevant authorities upon lawful request.

(d) Licensee must establish a policy of zero tolerance for following discrimination,

(i) refusal of service;

(ii) using derogatory or harassing language directed at passenger; or

(iii) discriminating a passenger on the basis of sex, race,caste, creed, religion or nationality.

(e) A driver shall not refuse to provide service to an individual with a disability.

(f) The Licensee must not shift the principal place of business in the State, as mentioned in the License Application, without informing the Licensing Authority in writing.

(g) The licensee shall immediately suspend a driver upon receiving a written complaint from a passenger submitted through regular mail or electronic means for discrimination for the duration of the investigation by the licensee.

(h) The on-demand transportation technology platform shall inform the Licensing Authority, if there is a change in control or ownership of the Licensee.

(i) The licensee must implement a zero tolerance policy on the use of drugs or alcohol by any driver, provide notice of the zero tolerance policy on its website, as well as the procedures to report a complaint about a driver, who the passenger reasonably suspects was under the influence of drugs or alcohol. The licensee shall suspend said driver's access to the platform upon receipt of a complaint alleging a violation of the zero tolerance policy till the duration of the investigation by the licensee.

(j) The State Government may notify the maximum fares to be charged.

(8) Transparency ,-

(a) the on-demand transportation technology platform must provide a feature to convey to the rider the distance and time travelled (based on the metering indicted by the device) and consideration to be paid by a passenger/rider for the trip undertaken and upon completion of a trip, shall transmit an electronic receipt to the passenger's email address or mobile phone or mobile application or in hard copy documents.

(b) the rider must be facilitated either via web or on a mobile app or through a customer service telephone number and an email address to submit their grievances or difficulties faced during travel.

(9) Power of Licensing Authority to suspend or cancel license,-

(a) If the State Transport Department, after giving the Licensee an opportunity of being heard, is of the opinion that a Licensee has failed to comply with any of the terms and conditions as detailed by the State Transport Department or under the License, and the same has not been remedied within 60 days of receiving written notice of such non-compliance, the State Transport Department may suspend the License for a specified period or cancel the License. In case of Licensees, who operate in more than one state the concerned State Transport Department shall inform the Ministry of Road Transport and Highways of every such suspension or cancellation of License. The Ministry will promptly inform the other States of the development. The Licensee who's License has been cancelled shall be permitted to apply for another License with the State Transport Department after a period of six months from the date of such cancellation.

(b) In the event of suspension or cancellation of the license, the holder of the license shall surrender it to the Issuing Authority.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.